

ई-टेंडरिंग सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत शासनादेश सं0 950/1-11-2017-14(जी)/2017 दिनांक 21.08.2017, शासनादेश सं0 569/एक-11-2020-रा0-11 दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-340/एक-11-2021-06(जी)/2019 दिनांक 12.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बाढ़ से प्रभावित परिवार (05 व्यक्ति औसत) हेतु खाद्यान एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/पैकेट/डिब्बा में व्यवस्थित कर प्रति परिवार को 10कि0 आटा, 10कि0ग्रा0 चावल, 10 कि0ग्रा0 आलू, 05कि0ग्रा0 लाई, 02 कि0ग्रा0 भुना चना, 02 कि0ग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक(आयोडीन युक्त), 250 ग्राम पिसी हल्दी, 250 ग्राम पिसी मिर्च, 250 ग्राम पिसा धनिया, 01 पैकेट मोमवत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट विस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल 100 टेबलेट क्लोरीन एवं 02 नहाने के साबुन कुल अदद 16 प्रकार की राहत सामग्री वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः इच्छुक फर्म स्वामी अपनी-अपनी निम्न विवरण के अनुसार ई-निविदा की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> डाल सकते हैं। प्रत्येक निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0, जो जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के पदनाम से बंधक हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा ग्राह्य नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा या प्रार्थना पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा, किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी शाहजहाँपुर में निहित होगा। आपूर्ति के समय 8 प्रतिशत धनराशि जमानत राशि के रूप में और जमा करना होगी।

कय किये जाने वाली राहत सामग्री का विवरण	बिड प्रस्तुत करने हेतु प्रारम्भ तिथि एवं समय	बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	टेक्नीकल बिड खोलने की तिथि एवं समय	फाइनन्सीयल बिड खोलने की तिथि
10कि0ग्रा0 आटा, 10कि0ग्रा0 चावल, 10 कि0ग्रा0 आलू, 05कि0ग्रा0 लाई, 02 कि0ग्रा0 भुना चना, 02 कि0ग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक (आयोडीन युक्त), 250ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 01 पैकेट मोमवत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट विस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल 100 टेबलेट क्लोरीन एवं 02 नहाने के साबुन (उपरोक्त सामग्री पैकेटों में तथा मसाले एवं नमक पिसे हुए पैकेटों में होने चाहिए समस्त राहत सामग्री एक बोरा/पैकेट/डिब्बे में व्यवस्थित कर उपलब्ध कराना होगा)	दिनांक 04.06.2021 समय 10:00 बजे पूर्वान्ह से	दिनांक 14.06.2021 समय 02:00 बजे अपरान्ह तक	दिनांक 14.06.2021 अपरान्ह 03:00बजे	दिनांक 14.06.2021 अपरान्ह 04:00 बजे

ई-टेंडरिंग के सम्बन्ध में शर्तें निम्न प्रकार है:-

- 1-निविदा के साथ रू0 10,000/- का एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 "जो जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के पदनाम से बंधक हो" धरोहर राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है।
 - 2-बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा ग्राह्य नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा या प्रार्थना पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
 - 3-किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी शाहजहाँपुर में निहित होगा। आपूर्ति के समय आपूर्ति किये गये सामान के मूल्य के 8 प्रतिशत धनराशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी।
 - 4- आपूर्तिक द्वारा उपरोक्त मानक के अनुरूप बाढ़ आने की दशा में आपूर्तिक आदेश दिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर उपरोक्त खाद्यान एवं राहत सामग्री की आपूर्ति जनपद की तहसील सदर, तिलहर, पुवायों, जलालाबाद, कलान तहसील मुख्यालय पर करनी होगी, जिसका मार्ग व्यय संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
 - 5-उपरोक्त खाद्यान एवं अन्य राहत सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार से आपूर्ति के समय कराकर उपलब्ध कराना होगा।
 - 6-आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को टेक्निकल बिड मे रू0 10,000/- का एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 की स्कैन कापी, फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0पंजीकरण प्रमाण, पैन नम्बर आदि की छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा भुगतान हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें खाता नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 नम्बर आदि भी स्पष्ट हो।
 - 7-अन्तिम भुगतान करते समय खाद्यान एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान की जा रही स्वीकृत धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0/आयकर आदि भी सम्बन्धित संस्था को स्वयं देना होगा।
 - 8- संस्था को रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी समस्त अभिलेख एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - 9-स्वीकृति आदेश बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी शाहजहाँपुर को होगा।
 - 10-किसी भी प्रकार के विवाद निस्तारण हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर रहेगा।
 - 11-निविदा प्रपत्र का मूल्य 2000/-बैंक ड्राफ्ट आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण शाहजहाँपुर के नाम स्वीकार होगा। निविदा मूल्य वापस नहीं किया जायेगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी टेक्निकल बिड के साथ लगाना आवश्यक होगा।
- उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/शर्तें आदि कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर सम्बन्धित संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट शाहजहाँपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(गिरिजेश कुमार चौधरी)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शाहजहाँपुर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला को न्यूनतम स्थान हेतु प्रकाशनार्थ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शाहजहाँपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन शाहजहाँपुर एन0आई0सी0 की बेबासाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 4- सहायक सूचना निदेशक, शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शाहजहाँपुर।